

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

पत्रांक :- 1194 दिनांक :- 12/04/2019

सेवा में,

श्री पंकज मल्हान,
उप मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (Dy. CEO),
मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि0,
सियालजोरी, पो0-जोगीडीह,
जिला- बोकारो, झारखण्ड।

विषय :- इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 407 दिनांक 11.04.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा आवेदित 184.23 हे0 (99.27 हे0 वनभूमि एवं 84.86 हे0 जंगल-झाड़ी) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों की समीक्षोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई जिसके निराकरण हेतु अतिरिक्त अभिलेख/सूचना अविलम्ब समर्पित करते हुए इस संबंध में वस्तुस्थिति शीघ्र स्पष्ट किया जाय :-

1. प्रस्ताव के साथ जंगल-झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। कृपया इसे संलग्न किया जाय।
2. पूर्व में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 द्वारा वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो (गोपनीय शाखा) पत्रांक-02 मु0/गो0 दिनांक 29.06.2012 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित किया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि0 के प्लॉट अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में कुल 372.90 एकड़ भूमि जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, बोकारो के उक्त पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में अंचल अधिकारी, चास तथा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के प्रतिवेदन में प्लॉटवार जंगल-झाड़ी भूमि दर्शाया गया है।
3. परन्तु अपयोजन हेतु मात्र 84.86 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि ही प्रस्तावित किया गया है। बाकी जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाय।
आपके द्वारा गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land से संबंधित ग्रामों का नाम की सूची में पत्थरटांड, गम्हारटांड, गिद्धाटांड, सोनरे, महुवार तथा करहरबाड़ी का नाम अंकित करते हुए संबंधित ग्रामों का DGPS map/shape file एवं Toposheet location upload किया गया है जबकि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा CA हेतु समर्पित प्राक्कलन में ग्रामों का नाम पारसबनी, अगँया, मंझलाडीह, पीहरा, मनीमहोडर एवं महुवार का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित ग्रामों का नक्शा संलग्न किया गया है, परन्तु इन ग्रामों का KML file एवं DGPS map समर्पित किया गया है, जिसे संशोधित करते हुए अभिलेख upload किया जाना आवश्यक है। कृपया यह कार्य 24 घंटे के अन्दर करने की कृपा करें।
4. लोहरदगा वन प्रमंडल के अधीन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में चयनित 65.743 हे0 क्षेत्रफल में से मात्र 18.00 हे0 पर वनरोपण किये जाने हेतु 19800 पौधा के रोपण हेतु प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जबकि भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 65.743 हे0 क्षेत्रफल पर 1000 पौधों/हे0 के मापदण्ड के अनुसार 65743 पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित किया जाना था। अतः स्थलीय आवश्यकता के

अनुरूप लक्षित पौधों के रोपण हेतु संशोधित क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन संलग्न किया जाना अपेक्षित है। ऐसी परिस्थिति में अवशेष बचे 45943 पौधों का रोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में अवकृष्ट वनभूमि पर किया जाना है एवं इस हेतु इस प्रमंडल के अन्तर्गत लावालौंग पी0एफ0 (गोमिया-39) में 45943 पौधों के रोपण हेतु 46.00 हे0 वनभूमि DGPS map एवं KML file भी 24 घंटे के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु वनभूमि का नक्शा प्रमंडलीय कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त कर लें। साथ ही लोहरदगा जिले में CA हेतु प्रस्तावित स्थलों बेदल, उदरोगी, मोसमानो एवं सलगी का समर्पित DGPS map एवं KML file त्रुटिपूर्ण है। इसे संशोधित कर 24 घंटे के भीतर समर्पित किया जाय।

5. Part-I के बिन्दु-K पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल-झाड़ी भूमि से संबंधित निर्गत FRA certificate की प्रति upload किया जाना अपेक्षित है, जिससे विदित हो कि FRA की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। कृपया इसे upload किया जाय।
6. Part-I के बिन्दु-L (iv).1(f) पर CA land ownership से संबंधित अभिलेख में परियोजना का नाम पताल ईस्ट कोल परियोजना वर्णित है। अतः इस परियोजना से संबंधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है। कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय।
7. Part-I के बिन्दु-L (iv).1(c) एवं L (iv).2(c) पर CA land का uploaded KML file में ग्राम का नाम marked नहीं है।

अतः अनुरोध होगा कि विषयक प्रस्ताव की समुचित समीक्षोपरान्त उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार करते हुए वांछित अभिलेख/निराकरण प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित अविलम्ब समर्पित एवं इसे online भी upload कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वसभाजन

12/04/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :- दिनांक :-

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 843 दिनांक 03.04.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके अनुमोदनोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव में 184.23 हे० (99.27 हे० वनभूमि एवं 84.86 हे० जंगल-झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों की समीक्षोपरान्त पाई गई त्रुटियों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त अभिलेख/सूचना अविलम्ब समर्पित करते हुए इस संबंध में वस्तुस्थिति शीघ्र स्पष्ट किया जाय :-

1. प्रस्ताव के साथ जंगल-झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट-II के बिन्दु-11 पर अपयोजन हेतु प्रस्तावित 99.27 हे० अधिसूचित वनभूमि में से 89.43 हे० पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित किया गया है। परन्तु 84.86 हे० जंगल-झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है।

विदित हो कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा पूर्व में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि० द्वारा वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो (गोपनीय शाखा) पत्रांक-02 मु०/गो० दिनांक 29.06.2012 के पत्र को संलग्न किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि० के प्लॉट अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में कुल 372.90 एकड़ भूमि जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज है। उपायुक्त, बोकारो के उक्त पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में अंचल अधिकारी, चास तथा अंचल अधिकारी, चन्दनव्यारी के प्रतिवेदन में प्लॉटवार जंगल-झाड़ी भूमि दर्शाया गया है।

अतः अपयोजन हेतु प्रस्तावित 84.86 हे० जंगल-झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट-II के बिन्दु-13 पर गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land से संबंधित ग्रामों का नाम की सूची में पत्थरटांड, गम्हारटांड, गिद्धाटांड, सोनरे, महुवार तथा करहरबाड़ी का नाम अंकित करते हुए संबंधित ग्रामों का DGPS map/shape file एवं Toposheet location upload किया गया है। परन्तु वन संरक्षक, बोकारो द्वारा अपने प्रासंगिक अग्रसारण पत्र में गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन चयनित CA land हेतु अलग ग्रामों का नाम पारसबनी, अँगैया, मंझलाडीह, पीहरा, मनीमहोडर एवं महुवार का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित ग्रामों का नक्शा संलग्न किया गया है। इस विरोधाभास का परिमार्जन आवश्यक है। तदनु रूप ही बिन्दु-13 (i), (ii) एवं (iii) पर संशोधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है।
4. लोहरदगा वन प्रमंडल के अधीन क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में चयनित 65.743 हे० क्षेत्रफल में से मात्र 18.00 हे० पर वनरोपण किये जाने हेतु 18.00 हे० पर 19800 पौधा के रोपण हेतु प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जबकि भारत सरकार के वर्तमान

दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 65.743 हे० क्षेत्रफल पर 1000 पौधों/हे० के मापदण्ड के अनुसार 65743 पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित किया जाना था। अतः स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप लक्षित पौधों के रोपण हेतु संशोधित क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

5. CA land का uploaded KML file पर CA स्थल चिन्हित (marked) नहीं है।
6. Part-II के बिन्दु-16 पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के uploaded recommendation में 4 शर्तें वर्णित की गयी हैं, जबकि hard copy में उपलब्ध कराये गये recommendation में 5 शर्तें अंकित की गयी हैं, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।
7. Part-I के बिन्दु-K पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल-झाड़ी भूमि से संबंधित निर्गत FRA certificate की प्रति upload किया जाना अपेक्षित है, जिससे विदित हो कि FRA की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
8. Part-I के बिन्दु-L (iv).1(c) पर CA land का uploaded KML file marked नहीं है तथा बिन्दु-L (iv).1(f) पर CA land ownership से संबंधित अभिलेख में परियोजना का नाम पताल ईस्ट कोल परियोजना वर्णित है। अतः इस परियोजना से संबंधित अभिलेख upload किया जाना अपेक्षित है।

9. Part-I के बिन्दु-L (iv).2(c) पर CA land का uploaded KML file marked नहीं है।
अतः अनुरोध होगा कि विषयक प्रस्ताव की समुचित समीक्षोपरान्त उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार करते हुए वांछित अभिलेख/निराकरण प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित अविलम्ब समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक :- 407- दिनांक :- 11.04.2019

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.04.2019
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।